an>

Title: Need to set up a high level Committee to enquire loan defaulters in the country.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदया, देश के 17 व्यक्तियों पर 2.14 लाख करोड़ रुपये के बकाया के संबंध में मैं बोलना चाहती हूं। मुझे यह सूचना मिली है कि देश में कुछ व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों पर कुल कर बकाया आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक है। अगर इस राशि में बैंक लोन डिफाल्ट की राशि भी जोड़ दी जाए तो यह रकम इतनी अधिक है कि देश की आर्थिक तरक्की को दुगुनी कर सकती है। मुझे ज्ञात है कि 35 कंपनियों के ऊपर 90,568 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। देश के कई ऐसे औद्योगिक घराने हैं, जो बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन तो लेते हैं, परंतु उन्हें चुकता नहीं करते हैं। इसके कारण जिनको लोन मिलना चाहिए, उन्हें लोन नहीं मिलता है, जबकि कुछ लोग फर्जी कंपनियां या फर्जी नाम से बैंकों से लोन ले लेते हैं। एक तरफ बैंकों द्वारा गांवों में रहने वाले किसानों या अन्य छोटे बैंक डिफाल्टरों, जिनकी कुल देनदारी हजारों में होती है, उनको पकड़कर जेल तक भेज दिया जाता है। उनके मकान या सम्पत्ति की कुर्की, जब्ती की जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन कंपनियों या व्यक्तियों के ऊपर लोन या टैक्स के रूप में इतनी बड़ी राशि बकाया है, उन्हें छोड़ दिया जाता है।

मैडम, आज देश में हर जगह भ्रष्टाचार और कालेधन के गठजोड़ की चर्चा है। मुझे लगता है कि यह प्रकरण भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ विषय है, जिसे कुछ उद्योगपति या कंपनियां टैक्स रिटर्न के प्रावधान में कमी का फायदा उठाकर जान बूझकर बैंक को रिटर्न नहीं करते हैं, इससे देश की आर्थिक नीति भी प्रभावित हो रही है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग है कि एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर टैक्स एवं लोन बकायेदारों की जांच की जाए और एक निश्चित समय के अंदर उनसे पूरी रकम वसूली की जाए, ताकि देश में सकारात्मक संदेश जाए और लोगों का भी कल्याण हो जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

वीरेन्द्र जी आप इसमें सहयोगी बनो।

श्री सी.आर.चौधरी को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2:30 p.m.

13.31 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes

past Fourteen of the Clock.